न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 20/2014 (रिव्यु)

उनवान

रामचरन पुत्र भगीता उर्फ भागीत जाति गुसाई निवासी मठ ताजपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....रिव्युकर्ता

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी, तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....नॉन रिव्युकर्ता

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सीपीसी सपठित धारा 86 भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 15.07.2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री जानकी प्रसाद शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :–13.06.2018**

1. यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रिव्युकर्ता/अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील संख्या 02/2013 इस आशय की पेश की गयी थी कि पटवारी हल्का ताजपुरा की रिपोर्ट के आधार पर रिव्युकर्ता/अपीलाण्ट को तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए, बेदखली करने, शास्ति आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जबकि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर पुराना कब्जा काश्त है अतः नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2012 से नियमन करने के बजाय अपीलाण्ट की अपील सजा की हद तक आंशिक स्वीकार की गयी तथा शेष निर्णय यथावत रखा। न्यायालय हाजा ने उक्त अपील बाद सुनवाई, निर्णय दिनांक 15.07.2014 से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.09.2014 को प्रस्तुत किया गया है।
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं नॉन–रिव्यूकर्ता को तलब किया गया।
3. विद्वान अधिवक्ता रिव्यूकर्ता ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रिव्युकर्ता का विवादित आराजी पर 20 वर्ष पुराना कब्जा है व उसे हकूक नियमन प्राप्त हो चुके हैं। रिव्युकर्ता बेरोजगार व भूमिहीन कृषक है तथा नियमन की पूरी पात्रता रखता और इस तथ्य को साबित करने के लिए आवेदक के पास राजस्व विभाग की एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी की शास्ती रसीदे मौजूद हैं। रिव्युकर्ता पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है बल्कि वह शास्ती देता है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 15.07.2014 में प्रत्यक्षदर्शी भूल सर्वप्रथम यह है कि उक्त तथ्यो को जो दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध हैं पर गौर नहीं किया जाकर, रिव्युकर्ता के महत्वपूर्ण हको को नजरअंदाज कर दिया है। वादग्रस्त आराजी जहॉ पर स्थित है वहॉ कोई सार्वजनिक प्रयोजन की भी सम्भावना नहीं है। रिव्युकर्ता नियमन की सारी शर्ते पूर्ण करता है वह भूमिहीन कृषक है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा नियमन हो जाने से राज्य सरकार को कोई हानि भी नहीं है। इस प्रकार आदेश, पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता नॉन–रिव्यूकर्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए रिव्यू संधारणीय नही है। रिव्युकर्ता को अपील करनी चाहिए थी। अतः आपत्ति अपीलाण्ट खारिज की जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र रिव्यु के माध्यम से बेदखली की बजाय नियमन का अनुतोष चाहा है। हम पाते हैं कि रिव्यु अधीन आदेश प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पारित हुआ है एवं प्रार्थी रिव्यु कर्ता द्वारा अपील में प्रस्तुत सभी तर्को व साक्ष्यों की समुचित विवचना उपरान्त, नियमन की प्रार्थना का परीक्षण कर अपील खारिज की गई है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में रिव्युकर्ता द्वारा इस तरह का कोई नया तथ्य या कानूनी चूक नहीं बताई है, जिस पर निर्णय दिनांक 15.07.2014 में पहले विचार नहीं किया गया हो। रिव्यु का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। जिसमें रिव्युकर्ता को निर्णय में अपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड साबित करना होता है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण का नियमन किया जाना कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता अपितु मात्र प्रशासनिक सुविधा है। प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस तरह की भूमि का आवंटन/नियमन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार निषिद्ध है।

6. जहॉ तक प्रार्थी अपीलाण्ट का विवादित आराजी के आवंटन/नियमन की पात्रता का प्रश्न है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अपने आवंटन/नियमन की पात्रता, सदभावी भूमिहीन कृषक होने एवं विवादित भूमि पर अपने अधिकार आदि को सिद्ध करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अतिक्रमण मात्र से किसी अतिक्रमी को नियमन की पात्रता अर्जित नहीं होती है। अतः प्रार्थी रिव्यु प्रार्थना पत्र से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। लिहाजा हम रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला कलक्टर एवं तहसीलदार बसेडी को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर